उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–73/2023

मो० वहाज अंसारी वगै० बनाम् लालजी बेदिया वगै० एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
15/04/25	इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में लालजी बेदिया वगै० पिता–मकुल बेदिया द्वारा समर्पित भू–वापसी आवेदन के आलोक में दायर भू–वापसी वाद संख्या–02/2018–19 लालजी बेदिया वगै० बनाम मो० वहाज अंसारी एवं अन्य में दिनांक–12.05.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध C.N.T. Act की धारा–215 के तहत अपीलार्थी 1. मो० वहाज अंसारी, पिता–स्व० खलील अंसारी, 2 अताउल्लाह अंसारी, पिता–स्व० पुलु मियाँ, 3 धनेश्वर महतो, पिता–सदन महतो, निवास ग्राम–जांगी द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। विषयगत वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा–जांगी थाना–गोला के खाता सं०–52 प्लॉट सं०–1031 रकबा–2.11 ए०, प्लॉट सं०–1033 रकबा–2.34 ए०, प्लॉट सं०–1034 रकबा–0.80 ए० कुल रकबा–5.25 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–02/2018–19 में पारित आदेश दिनांक–12.05.2023 के विरुद्ध यह अपील दायर की गई है। विषयगत मामला ग्राम–जांगी, खाता संख्या–52, प्लॉट संख्या–1031, रकबा–2.11 ए०, प्लॉट संख्या–1033 रकबा–2.34 ए०, प्लॉट संख्या–1034 रकबा–0.80 ए०, रकबा–5.25 एकड़ भूमि से संबंधित है। जिसके खतियानी रैयत बसराम बेदिया, पिता–पाशी बेदिया है। विपक्षी के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वे खतियानी रैयत के वंशज हैं और अपीलार्थी ने उन्हें खाता संख्या–52 के प्लॉट संख्या–1031, 1033 एवं 1034 रकबा–5.25 एकड़ भूमि से तीन साल पहले बेदखल कर दिया है। विचाराधीन वाद मे खतियानी रैयत के कानूनी उत्तराधिकारियों जेहलू बेदिया पुत्र स्वर्गीय लालो बेदिया, लगनू बेदिया और जगनू बेदिया दोनों पुत्र स्वर्गीय मधु बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 के प्लॉट संख्या–1033 रकबा–2.34 एकड़ भूमि मे से रकबा–0.68 एकड़ भूमि मोहम्मद खलील, शेख सोबराती मिया और इसराइल अंसारी पुत्र शेख हबीबुल्ला को निबंधित डीड संख्या–5860 दिनांक–27.06.1960 के माध्यम से बेच दी और	

विक्रेता को उस पर कब्जा दे दिया है। खरीद के बाद क्रेता ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया और उनके नाम अंचल अधिकारी, गोला के यहाँ दाखिल खारिज कर लगान रसीद प्राप्त किया। गोविंद बेदिया के पुत्र बुधु बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 के प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.26 एकड जमीन में शेख हबीबुल्ला को निबंधित डीड संख्या–1106 दिनांक–23.04.1945 के माध्यम से हस्तांतरित की गई तथा विक्रेता को भूमि पर कब्जा दिलाया गया। जाहलू बेदिया पुत्र लालो बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 रकवा–0.40 एकड भूमि तथा प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.35 एकड़ भूमि कुल रकवा–0.75 एकड़ भूमि को निबंधित डीड संख्या–64 दिनांक–07.01.1946 के माध्यम से शेख हबीबुल्ला को बेचकर हस्तांतरित कर दिया है तथा विक्रेता को उस पर कब्जा दे दिया है। अपीलार्थी खलील अंसारी का पुत्र और हबीबुल्ला का पोता है और उसे प्लॉट क्रमांक–1033 रकवा–1.69 एकड भूमि विरासत में मिली है। फेकन बेदिया पुत्र गोविंद बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 प्लॉट संख्या–1034 रकवा–0.40 एकड भूमि को निबंधित डीड संख्या–3353 दिनांक–03.06.1943 के माध्यम से सदन महतो को बेचकर हस्तांतरित कर दिया है तथा विक्रेता को उस पर कब्जा दे दिया है। फेकन बेदिया पुत्र गोविंद बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.11 एकड जमीन को निबंधित डीड संख्या–1577 दिनांक–09.04.1945 के माध्यम से सदन महतो को बेच दिया और हस्तांतरित कर दिया और विक्रेता को उस पर कब्जा दे दिया। अमृता बेदिया पुत्र गोविंद बेदिया ने भी ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.19 एकड़ जमीन को निबंधित डीड संख्या–3371 दिनांक–09.04.1945 के माध्यम से सदन महतो को बेच दिया और हस्तांतरित कर दिया एवं विक्रेता को उस पर कब्जा दिलाया। फेकन बेदिया तथा अमृता बेदिया पुत्र गोविंद बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 प्लॉट संख्या–1033 रकवा–2.34 एकड़ भूमि में से रकवा–0.17 एकड़ भूमि को निबंधित डीड संख्या–96 दिनांक–24.00.1945 के माध्यम से सदन महतो को बेचकर उस पर विक्रेता को कब्जा दिलाया गया। लालो बेदिया के पुत्र जेहलू बेदिया ने भी ग्राम–जांगी के खाता–52 प्लॉट संख्या–1034 रकवा–0.40 एकड जमीन निबंधित डीड संख्या–3073 दिनांक–02.04.1959 के माध्यम से सदन महतो को बेच दी तथा विक्रेता को उस पर कब्जा दिला दिया। उक्त सदन महतो की मृत्यु हो गई तथा उसके तीन पुत्र जागेश्वर महतो, कमलू महतो तथा धनेश्वर महतो रह गए, जिन्हें उक्त जमीन विरासत में मिली तथा वे पूर्ण स्वामी के रूप में उस पर काबिज हो गए। जागेश्वर महतो की भी मृत्यु हो गई। अपने पीछे पुत्र कमलेश्वर राम दांगी को छोड़ गए हैं। अपीलार्थी अपने भाई के साथ खाता संख्या–52, प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.47 एकड़ भूमि और प्लॉट संख्या–1034 रकवा–0.80 एकड भूमि पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा कर रहा है और उस पर विभिन्न फसले उगा रहा है और बिना किसी रोक–टोक के उसका उपभोग कर रहा है। मो० धेनिया पत्नी शीतलाल बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 प्लॉट संख्या–1031 रकवा–1.58 एकड भूमि को शेख गफूर को निबंधित डीड संख्या–3710 दिनांक–30.10.1944 के नाम से बेचकर हस्तांतरित कर दिया है और विक्रेता को उस पर कब्जा दिला दिया है। अमृत बेदिया और फेकन बेदिया पुत्र गोबिंद बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52,

Scanned with OKEN Scanner

प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.11 ए० जमीन को शेख गफूर को निबंधित डीड संख्या–3609 दिनांक–13.10.1945 के माध्यम से बेचकर हस्तांतरित कर दिया तथा विक्रेता को उस पर कब्जा दिलाया। बुधन बेदिया पुत्र गोबिंद बेदिया ने भी ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.11 ए० जमीन को निबंधित डीड संख्या–3258 दिनांक–11.08.1944 के माध्यम से शेख गफूर को बेच दिया तथा विक्रेता को उस पर कब्जा दिला दिया। बुधन बेदिया और अमृत बेदिया पुत्र गोबिंद बेदिया और जाहलू बेदिया पुत्र लालो राम बेदिया ने ग्राम–जांगी के खाता संख्या–52 प्लॉट संख्या–1031 रकवा– 0.53 एकड़ जमीन को निबंधित डीड संख्या–40 दिनांक–10.01.1945 के माध्यम से शेख गफूर को बेच दिया और उस पर कब्जा कर लिया और विक्रेता को उस पर कब्जा दे दिया। खरीद के बाद शेख गफूर ने उपरोक्त खरीदी गई जमीन पर कब्जा कर लिया और उसका नाम अंचल अधिकारी, गोला के कार्यालय में दाखिल खारिज किया गया और किराए के भुगतान के खिलाफ किराया रसीद जारी की गई। शेख गफूर की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे 6 बेटे छोड़ गया जिनके नाम कजब अली, कातिब मोहम्मद, रजब अली, जलील अंसारी, पालू मियां और जालू मियां जिन्हें उक्त भूमि विरासत में मिली थी और वे पूर्ण स्वामी के रूप में उस पर काबिज हुए। पालू मियां की मृत्यु के बाद उनके पीछे एक पुत्र अताउल्ला अंसारी रह गया, जो विपक्षी है। अपीलार्थी अपने सह–हिस्सेदार के साथ खाता संख्या–52 के प्लॉट संख्या–1031 रकवा–2.11 एकड़ भूमि और खाता संख्या–52 के प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.22 एकड़ भूमि पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा में है और वह उस पर विभिन्न फसलें उगा रहा है और बिना किसी बाधा के उसका उपभोग कर रहा है। विपक्षी पिछले 75 वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज नहीं हैं। अपीलार्थी ने बेहतर खेती के लिए उक्त भूमि पर एक कुआं भी खोदा है। विपक्षी गोबिंद बेदिया और लालो राम बेदिया के वंशज हैं और विपक्षी के दादा ने पहले ही निबंधित डीड के आधार पर अपीलार्थी के पिता और दादा को संबंधित भूमि हस्तांतरित कर दी है। अंचल अधिकारी, गोला ने भी अपनी जाँच प्रतिवेदन में प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि संबंधित भूमि अलग–अलग निबंधित डीड द्वारा अपीलार्थी को हस्तांतरित की गई है और यह भी कहा है कि विपक्षी भूमि की बिक्री की तिथि से संबंधित भूमि पर काबिज नहीं है। अंचल अधिकारी, गोला ने यह भी कहा है कि अंचल कार्यालय, गोला के रजिस्टर–II में शेख हबीबुल्ला, मोहम्मद खलील, सोबराती और इसराइल के नाम पर तथा शेख गफूर और सुदन महतो के नाम पर भी जमाबंदी चल रही है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अभी बताया गया कि अपीलार्थी के पिता और दादा के पक्ष में निबंधित डीड को निष्पादित किया गया था, उस समय बेदिया को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा गया था, इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है एवं इस मामले में धारा–46(4)(ए) लागू नहीं होती है। निम्न न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार नहीं किया है, इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किए जाने योग्य है। निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी के तथ्यों को समझे बिना आदेश पारित किया है और विपक्षी का आवेदन को गलत तरीके से स्वीकार किया है। निम्न न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गणेश साव व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य CWJC No.-

4

Scanned with OKEN Scanner

3758/1996 में पारित आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिए था, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष–1945 से पहले बेदिया को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा गया था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा–जांगी के खाता संख्या–52, थाना संख्या–11, रकवा–5.25 एकड़ भूमि के खतियान बसराम बेदिया के नाम पर दर्ज है तथा विपक्षी उनके वंशज हैं। मौजा–जांगी के खाता संख्या–52, कुल रकवा–5.25 एकड़ भूमि की जमाबंदी विपक्षी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ संख्या–135/4 पर विपक्षी के नाम से दर्ज है तथा इसकी जमाबंदी अभी भी चल रही है तथा इसे कभी भी अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। विपक्षी को C.N.T Act, की निर्धारित अवधि के भीतर प्रश्नगत भूमि से बलपूर्वक तथा धोखाधड़ी से बेदखल कर दिया गया है तथा विपक्षी द्वारा इसकी बहाली के लिए निम्न न्यायालय में आवेदन करने पर निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, गोला से जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन तथा पक्षों की सुनवाई के पश्चात इसकी भू–वापसी की अनुमति दी है। मौजा–जांगी प्लॉट संख्या–1033 का कुल रकवा–2.34 एकड़ भूमि है तथा विक्रय रकवा–2.38 एकड़ है, जो विक्रय फ़र्जी को उजागर करता है। अपील आवेदन में यह भी उल्लेख है कि प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.47 ए० भूमि तथा प्लॉट संख्या–1034 रकवा–0.80 ए० भूमि भी बिना किसी दस्तावेज के अपीलार्थी के कब्जे में है। अपील के उपरोक्त कथन के अनुसार C.N.T Act, (संशोधन)–1908 वर्ष–1959 में प्रभावी था तथा कथित निबंधित डीड संख्या–3073 दिनांक–02.04.1956 तथा निबंधित डीड संख्या–5860 दिनांक–27.06.1960 को उपायुक्त की अनुमति के बिना निष्पादित किया गया था, तथा इस प्रकार का हस्तांतरण विधि विरूद्ध है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी के प्लॉट संख्या–1033 रकवा–0.47 ए० तथा प्लॉट संख्या–1034 रकवा–0.80 ए० पर दिखाया गया कथित कब्जा भी C.N.T Act, 1908 की धारा–46 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा जिसे कानूनी दृष्टि से रद्द किया जाना आवश्यक है। निम्न न्यायालय के आदेश के पृष्ठ संख्या–2 में जमाबंदीदारों की सूची दी गई है, जो भी संदिग्ध तथा भ्रामक है, संबंधित रजिस्टर–II के पृष्ठ संख्या–90/1 में खाता संख्या–52 व 65 प्लॉट संख्या–1033, 1043 व 1441 रकवा–1.23 एकड़ की संयुक्त प्रविष्टि संयुक्त रूप से दर्शाई गई है। सेख हबीबुल्लाह का नाम रजिस्टर–II के पेज संख्या–78/8 में मिटकू महतो का नाम प्लॉट संख्या–1031, खाता संख्या–52 रकवा–0.13 ए० भूमि के लिए जमाबंदीदार के रूप में पाया गया और राजस्व अभिलेखों में कई अन्य विसंगतियाँ पाई गईं।

उपरोक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी को C.N.T Act, के प्रावधानों के विरुद्ध वंचित करने की मंशा से अपीलार्थी द्वारा अवैध दस्तावेज तैयार किया गया है। बेदखली की अवधि C.N.T Act, की धारा– 46 4(A) के प्रावधान 12 वर्ष से अन्दर का है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैध है जिसमें हस्तक्षेप का कोई उचित कारण नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त तथ्यों कागजातों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अपील के आवेदन को खारिज करते हुए भू-वापसी वाद संख्या-02/2018-19 में निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खतियानी रैयत का खतियान में खाता नं०-52 का कुल रकवा-5.25 ए० भूमि मात्र है जिसकी जमाबंदी पंजी-II के पृ०सं०-135/4 पर खतियानी रैयत बसराम बेदिया के नाम पर कायम है तथा रसीद निर्गत होता है। दुसरी ओर विपक्षियों के नाम से जमाबंदी पंजी-II के पृ०सं०-90/I, 69/4, 11/I, 3/I, 79/8 पर भी खाता नं०-52 के अंतर्गत जमाबंदी कायम है। विपक्षी की ओर से अपने साक्ष्य से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी की ओर से किया गया दावा सन्देहात्मक माना गया है व निबंधित केवाला के आधार पर आदिवासी खाता की जमीन का हस्तांतरण विधि संगत नहीं मानते हुए भू-वापसी का आदेश पारित किया गया है। साथ ही मौजा-जांगी के खाता सं०-52 प्लॉट सं०-1031 रकवा-2.11 ए०, प्लॉट सं०-1033 रकवा-2.34 ए०, प्लॉट सं०-1034 रकवा-0.80 ए० कुल रकवा-5.25 ए० भूमि पर से अपीलार्थी (गैर अदिवासी) को उच्छेदित करने का आदेश पारित किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा निबंधित केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिसकी जमाबंदी विचाराधीन भूमि पर अभी तक कायम है। विषयगत वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का सही अवसर प्रदान करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातू के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भू-वापसी का आदेश पारित किया गया है जो विधि-सम्मत प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-जांगी थाना-गोला के खाता सं०-52 प्लॉट सं०-1031 रकवा-2.11 ए०, प्लॉट सं०-1033 रकवा-2.34 ए०, प्लॉट सं०-1034 रकवा-0.80 ए० कुल रकवा-5.25 ए० भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। विचाराधीन भूमि की भू-वापसी हेतु विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय मे भू-वापसी वाद संख्या-02/2018-19 लालजी बेदिया वगै० बनाम मो० वहाज अंसारी एवं अन्य दायर की गई थी। अपीलार्थी के द्वारा निबंधित केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। प्रश्नगत भूमि की वर्तमान जमाबंदी विपक्षी के नाम से अभी तक कायम है जिसके संबंध मे अपीलार्थी द्वारा कोई सकारात्मक उत्तर नही दिया

गया। साथ ही आदिवासी रैयत की भूमि बिना उपायुक्त की अनुमति से किस प्रकार गैर आदिवासी को हस्तांतरित की गई है इसका भी कोई प्रमाण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान दावा किया गया है कि आदिवासी रैयत के बेदखली की अवधि 12 वर्ष से अधिक 75 वर्षों से खरिदगी की अवधि से है। परन्तु प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर खरीदगी की अवधि से ही दखलकार होने का कोई ठोस प्रमाण समर्पित नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों से अपीलार्थी द्वारा C.N.T Act की धारा-46 4(A) का प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदिवासी की भूमि पर अवैध दखल प्रतीत होता है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विधि-सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रभावी पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 15/04/25
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 15/04/25
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.04.22 16:54:49 +05:30
Location: 192.168.0.5

Scanned with OKEN Scanner